सं.14034/23/2009-रा.भा.(प्रशि0)

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 04 सितम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत अधिकारियों (उप निदेशक, सहायक निदेशक, एवं हिंदी प्राध्यापक) की स्थानांतरण नीति ।

....

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना के 5 क्षेत्रों (मध्योत्तर, पश्चिम, पूर्व, पूर्वोत्तर एवं दक्षिण) में हिंदी प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं| इसके अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत उप संस्थानों (नई दिल्ली, कोलकाता, चैन्ने, मुंबई, हैदराबाद एवं बेंगलूर) में गहन प्रशिक्षण द्वारा हिंदी भाषा,हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है| पूर्वोत्तर एवं दक्षिण क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि के कारण वहां पर तैनात अधिकारियों से अन्य क्षेत्रों में तैनाती हेतु अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं, उन अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए स्थानांतरण नीति बनाने का निर्णय लिया गया है| यह स्थानांतरण नीति केवल पूर्वोत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र में आने वाले राज्यों (पूर्वोत्तर- असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा मणिपुर एवं दक्षिण- आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप तथा पाण्डिचेरी) में कार्यरत उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं हिंदी प्राध्यापकों के लिए लागू होगी| इस संबंध में यह उल्लेख किया जाना है कि कनार्टक राज्य पश्चिम क्षेत्र में शामिल किया गया है लेकिन इस स्थानांतरण नीति के अंतर्गत जो शर्तें दक्षिण क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के लिए लागू की जाएंगी, वही शर्तें कनार्टक राज्य में कार्यरत अधिकारियों के लिए भी लागू होगी| इन क्षेत्रों (दक्षिण एवं पूर्वोत्तर) में कार्यरत अधिकारियों को मध्योत्तर, पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र के राज्यों में स्थानांतरित किया जाएगा| पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात अधिकारी यदि दक्षिण क्षेत्र अथवा दक्षिण क्षेत्र में तैनात अधिकारी यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन देते हैं तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा| अत: पूर्वोत्तर/दक्षिण क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के लिए स्थानांतरण नीति निम्नलिखित बिंदुओं से निर्देशित होगी:-

(i) पूर्वोत्तर/दक्षिण क्षेत्र में तैनात ऐसे हिंदी प्राध्यापक जिनकी नियुक्ति पूर्वोत्तर/दक्षिण क्षेत्र के लिए ही हुई है, का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर व अन्य अधिकारियों के 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर उनका अन्यत्र क्षेत्र (पश्चिम, पूर्व या मध्योत्तर क्षेत्र) में स्थानांतरण प्राप्त अभ्यावेदनों, लोकहित एवं तात्कालिक आवश्यकता के तहत निर्धारित किया जाएगा|

(ii) पूर्वोत्तर/दक्षिण क्षेत्र में स्थानांतरण प्रथमत: उन्हीं अधिकारियों का किया जाएगा जो एक स्थान पर लंबे समय से तैनात हैं।

(iii) ऐसे हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक जो पूर्वोत्तर/दक्षिण क्षेत्र में ही सेवा करना चाहते हैं/चाहेंगे उन्हें जहां तक संभव होगा, अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(iv) यदि पति/पत्नी दोनों हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं, ऐसे अधिकारियों को यथा संभव एक ही स्थान पर रखे जाने का प्रयास किया जाएगा।

(v) हिंदी प्राध्यापक एवं सहायक निदेशक के स्वीकृत पदों की संख्या को देखते हुए इन अधिकारियों को जहां तक संभव हो एक या दो बार से ज्यादा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानांतरित नही किया जाएगा।लेकिन उपनिदेशकों के स्वीकृत पदों को देखते हुए उनकी तैनाती पूर्वोत्तर/दक्षिण क्षेत्र में अधिक बार भी की जा सकती है ।

(vi) सेवानिवृत्ति के 2 वर्षों के अंदर उप निदेशकों को छोड़कर किसी भी अधिकारी को पूर्वोत्तर/दक्षिण क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा।

(vii) मध्य, पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों की पदोन्नति के समय उन्हें पूर्वोत्तर/दक्षिण क्षेत्रों में तैनाती दी जाएगी|

(viii) स्थानांतरण केवल अप्रैल से जुलाई में किए जाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि स्थानांतरित अधिकारियों के बच्चों का प्रशिक्षण/पढ़ाई सत्र में व्यवधान न आए ।

(ix) प्रशिक्षण की आवश्यकताओं या विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनहित में स्थानांतरण किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है।

2. समूह 'ग', 'घ' एवं समस्त प्रशासनिक कर्मचारियों की वरिष्ठता क्षेत्रीय आधार पर होने के कारण इन कर्मचारियों पर यह स्थानांतरण नीति लागू नहीं होगी|

3. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है|

भवदीय,

(बी.सी.मण्डल)
निदेशक

निदेशक,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
7वॉ तल, पर्यावरण भवन,
नई दिल्ली|